कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

–:: प्रारंभिक अधिसूचना ::–

क्रमांक/ 6972 /भू–अर्जन/2024 कोरबा, दिनांक 24-06-2024

क्रमांक 202107050500004/अ–82/2020–21– चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	पाली	पोलमी/11	98	0.0670	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि.बिलासपुर (छ.ग.)	ए.डी.बी.परियोजना लोन–3 के अंतर्गत पैकेज–23, पाली–सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुननिर्माण कार्य हेतु
			99	0.0430		
			123/3	0.1520		
			38/1 ड.	0.0250		
			122/2	0.0160		
			37/14	0.0010		
			18/12	0.0130		
			15/1	0.0110		
			8/1/क/29, 369/1/क/15	0.0020		
			8/1/क/21 ,369/1/थ	0.0110		
			369/1/न/3	0.0020		
			369/1/म/1, 366/1	0.0040		
			369/1/म/8	0.0040		
			369/1/म/7	0.0040		
			15/3	0.0130		
			369/1/ख/3	0.0089		
			369/1/क/39	0.0160		
			369/1/ढ.	0.0120		
			369/1/क/21	0.0053		
योगः–			19 खसरे	0.4102		

2.यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर

को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3.भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।

4.प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5.प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6.प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली
जिला– कोरबा (छ.ग.)

(अजीत वसंत)
कलेक्टर
जिला – कोरबा (छ.ग.)
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक/ 8972 /भू-अर्जन/2024 कोरबा, दिनांक 24-06-2024

–:: अधिसूचना :–

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 14 अंतर्गत

क्रमांक 202107050500004/अ–82/2020–21– राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (6) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण में धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदन माह मार्च 2023 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त तिथि से आज की तिथि के मध्य, विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोक सभा निर्वाचन 2024 नियत होने तथा राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के निर्वाचन कार्य में संलग्न होने से भौतिक सत्यापन एवं दावा आपत्तियों का निराकरण में विलंब हुआ तथा धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना, धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अंकन की तारीख से बारह मास के भीतर जारी नहीं की जा सकी है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 14 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्यवाही हेतु बारह मास की अवधि की वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में.)		
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½
कोरबा	पाली	पोलमी/11	98	0.0670	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि.बिलासपुर (छ.ग.)	ए.डी.बी.परियोजना लोन–3 के अंतर्गत पैकेज–23, पाली–सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुननिर्माण कार्य हेतु
			99	0.0430		
			123/3	0.1520		
			38/1 ड.	0.0250		
			122/2	0.0160		
			37/14	0.0010		
			18/12	0.0130		
			15/1	0.0110		
			8/1/क/29, 369/1/क/15	0.0020		
			8/1/क/21 ,369/1/थ	0.0110		
			369/1/ज/3	0.0020		
			369/1/म/1, 366/1	0.0040		
			369/1/म/8	0.0040		
			369/1/म/7	0.0040		
			15/3	0.0130		

			369/1/ख/3	0.0089		
			369/1/क/39	0.0160		
			369/1/ढ.	0.0120		
			369/1/क/21	0.0053		
योगः-			**19 खसरे**	**0.4102**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू -अर्जन अधिकारी पाली
जिला– कोरबा (छ.ग.)

(अजीत वसंत)
कलेक्टर
जिला – कोरबा (छ.ग.)
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग